

पत्र संख्या-वनभूमि-17/2017 **3428**

व0प0

**झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- **12/08/17**

विषय :- गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फॉरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-480 दिनांक-14.06.2017, पत्रांक-577 दिनांक-12.07.2017 तथा पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक-928 दिनांक-24.07.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फॉरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11-09/98-FC दिनांक-25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक-28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 1.0121 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।
- (3) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।
- (4) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।
- (5) प्रस्तावित वनभूमि में पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के क्रम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 16 वृक्ष से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।
- (6) पुलिस फॉरवर्ड कैम्प निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सकें, प्रस्तावित वनभूमि के खाली स्थानों पर वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (7) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (8) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।
- (9) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

ok

- (10) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।
- (11) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।
- (12) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
- सैद्धांतिक सहमति के शर्तों के अनुपालन हेतु के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

h. 12/08/17
(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वनभूमि-17/2017 **3428**

व0प0, राँची दिनांक- **12/08/17**

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

h. 12/08/17
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-वनभूमि-17/2017 **3428**

व0प0, राँची दिनांक- **12/08/17**

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा-833201 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

h. 12/08/17
सरकार के उप सचिव